

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
क्रमांक:- कोर्ट / प्रार्थना पत्र / 51 / 2020 दायर दिनांक 02.09.2020

उनवान:- शेख नजमुददीन उर्फ नजीमउददीन वगै० बनाम राजस्थान सरकार

धारा 136 एल.आर.एक्ट

:- आदेश :-

प्रार्थीगण शेख नजमुददीन उर्फ नजीमउददीन पुत्र शेख वजीनउदीन वगै० मुसलमान नि० सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल आकोदिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे खाता संख्या 216 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का हिस्सा दुरुस्ती) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम / पटवार मण्डल / तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल आकोदिया तहसील सुनेल	216	अमीन पुत्री शेखअमीन हिस्सा 1/4	नाम हटाया जाना हैं।

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

क्रमांक:- राजस्व / 2021 / 225-26 पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) 26/09/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी शेख नजमुददीन उर्फ नजीमउददीन पुत्र शेख वजीनउदीन वगै० मुसलमान नि० सुनेल को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

